राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र.: एफ 1(32)ग्रा.वि./नरेगा/बजटघोषणा/2013/पार्ट–II

जयपुर, दिनांक : 7 DEC 2016

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्यक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा के अन्तर्गत "**मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना**" ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा "**महात्मा गांधी नरेगा योजना**", "**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**" तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के कन्वर्जेन्स से लागू की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में यह योजना राज्य की 2000 ओ.डी.एफ. घोषित ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ की जा रही है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि योजना को शीघ्रताशीघ्र आपके जिले में लागू किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

7.12.16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
2. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

—:: मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना ::—

प्रस्तावना :—

गांव को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए आवश्यक है कि गांव में सफाई व्यवस्था के साथ ही ठोस कचरे का उचित प्रबन्धन किया जावे। इस हेतु "महात्मा गांधी नरेगा योजना," "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं यथा— राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, एम.एल.ए.लैड, एम.पी.लैड, जल ग्रहण विकास, आदि की निधी के कन्वर्जेन्स से "**मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना (MSGY)**" लागू की जाती है।

उद्देश्य :—

1 गांव को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाना

2 गांव में स्वच्छता का वातावरण तैयार करना

3 लोगों को स्वच्छता के संबन्ध में जागरूक करना

4 ठोस कचरे के प्रबन्धन से पुनः प्रयोग में लाये जाने योग्य सामग्री व अनुपयोगी सामग्री को पृथक करना एवं इनका उपयोग करना।

कार्यक्षेत्र :—

वर्तमान में राज्य की दो हजार ओ.डी.एफ. (Open Defection Free) ग्राम पंचायतों में यह योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसे बाद में बढाया जा सकेगा।

कार्यविधि :—

1 "**मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना**" ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा "**महात्मा गांधी नरेगा योजना,**" "**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**" **तथा** राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के कन्वर्जेन्स से लागू की जा रही है। आवश्यकता होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं यथा— राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, एम.एल.ए.लैड, एम.पी.लैड, जल ग्रहण विकास, आदि की निधी से भी **कन्वर्जेन्स** किया जा सकता है।

2 इस कार्य हेतु **ग्राम पंचायत, कार्यकारी संस्था** होगी।

3 ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में लगभग **150 घरों का क्लस्टर** बनाया जायेगा। क्लस्टर के इन **घरों तथा** सामुदायिक कचरा पात्र से ठोस कचरे के संग्रहण एवं परिवहन के लिए **महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दो श्रमिकों का नियोजन** महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

4 नियोजित श्रमिकों द्वारा क्लस्टरके प्रत्येक घर तथा सामुदायिक कचरा पात्र से ठोस कचरे का संग्रहण, क्लस्टरक्षेत्र की सडक एवं नाली की सफाई सहित ठोस कचरे का संग्रहण, संग्रहित ठोस कचरे का पिट तक परिवहन किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि **कचरा रास्ते में नही बिखरे**।

5 ठोस कचरे के संग्रहण एवं इसे पिट तक परिवहन के लिए "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन के लिए उपलब्ध राशि से **एक ट्रोलीवाला बॉक्सनुमा (दो पार्ट में विभाजित मय ढकने के प्रावधान सहित) साईकिल रिक्शा** (अनुमानित लागत रू. 25 से 30 हजार) उपलब्ध कराया जायेगा। रिक्शे के बॉक्स को बाहर की तरफ से लाल एवं हरे रंग से रंगा जायेगा। हरे रंग वाले पार्ट में स्वभाविक रूप से सडने वाला (bio-degradable) तथा लाल रंग के पार्ट में नहीं सडने वाला (non bio-degradable) कचरे को अलग–अलग रखा जायेगा। हरे रंग का पार्ट लाल रंग की तुलना में बडा होगा।

6 प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10–15 परिवार समूह के लिए एक सार्वजनिक कचरा पात्र उपयुक्त स्थल पर रखा जायेगा।

7 महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानानुसार **प्रत्येक परिवार को अधिकतम 100 दिवस का रोजगार** उपलब्ध कराया जायेगा। इस **कार्य पर नियोजन लगातार 100 दिवस की पात्रता के अनुरूप** किया जायेगा। **100 दिवस पूर्ण होने के उपरान्त महात्मा गांधी नरेगा** के **अन्य दो** श्रमिकों का नियोजन किया जायेगा। इस प्रकार प्रति लगभग 150 परिवार के लिए **प्रतिवर्ष लगभग 6 श्रमिकों (अवकाश को छोडकर) का नियोजन** किया जायेगा।

8 प्रत्येक गांव में अथवा गांव के क्लस्टर में या ग्राम पंचायत में पंचायत की भूमि पर उपयुक्त स्थल पर **कम से कम एक स्थान पर** महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत **कचरा संग्रहण गड्ढे** बनाये जायेगें। यह गडढे ऐसे स्थल पर बनाये जावे **जिनसे जान–माल की क्षति का अंदेशा बिल्कुल ना** हो। कुल **तीन आयताकार 30 फीट लम्बाई, 6 फीट चौडाई तथा 3 फीट गहराई (साईड स्लोप 1:1) के कचरा संग्रहण गड्ढों** का निर्माण किया जायेगा। मौके पर उपलब्ध स्थान तथा एकत्रित होने वाले कचरे की मात्रा के अनुमान के आधार पर कचरा संग्रहण गड्ढों की साईज संबन्धित अभियन्ता द्वारा परिवर्तित की जा सकेगी। **इन तीन गड्ढों में से दो गडढों** का उपयोग **जैविक कचरा निस्तारण** के लिए तथा **तीसरे गडढे का उपयोग किसी भी प्रकार से काम में नही आने वाले कचरे के संग्रहण** हेतु किया जायेगा। जैविक कचरे का पहले केवल एक गडढे में संग्रहण किया जायेगा। प्रथम गडढे के भरने/ संग्रहित कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने पर जैविक कचरा दूसरे गडढे में संग्रहित किया जायेगा। जैविक खाद बनाने की प्रकिया इस प्रकार चलती रहेगी। जैविक खाद का उपयोग प्रथम वरीयता के रूप में विभाग के पौधारोपण के कार्यों में किया जायेगा। अधिशेष जैविक खाद को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विक्रय किया जा सकेगा एवं इससे प्राप्त राशि ग्राम पंचायत की आय में उपयोग में ली जायेगी। यह प्रकिया लगातार दोहरायी जायेगी।

9 क्लस्टरके सभी घरों, सामुदायिक कचरा पात्र तथा सडक/नाली के ठोस कचरा इकटठा करने के उपरान्त नियोजित **श्रमिकों द्वारा यह कचरा, कचरा संग्रहण स्थल तक** परिवहन किया जायेगा एवं संबन्धित गड्ढों में डाला जायेगा। श्रमिकों द्वारा स्वभाविक रूप से सडने वाला (bio-degradable) तथा नहीं सडने वाला (non bio-degradable) कचरे को अलग–अलग गड्ढों में ही डाला जायेगा।

10 नियोजित महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक **कचरे के Segregation के लिए भी जिम्मेदार** होगें। यह Segregation कचरा इक्टठा करते समय ही किया जाना चाहिये ताकि इसके निस्तारण में परेशानी ना हो।

11 **पुनः उपयोग में लिए जा सकने वाले कचरे** का ग्राम पंचायत द्वारा **नियमानुसार विक्रय** किया जा सकेगा एवं यह राशि ग्राम पंचायत की निजी आय में सम्मिलित की जायेगी।

12 प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला का यथा सम्भव महिला स्वंय सहायता समूह से **स्वच्छता सखी के रूप में** नियोजन किया जायेगा। स्वच्छता सखी महात्मा गांधी नरेगा योजना के **मेट की** तरह कार्य करेगी एवं स्वच्छता के संबन्ध में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेगी। इनका कार्य नियोजित श्रमिकों की हाजरी किया जाना, दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित कराना, पर्यवेक्षण किया जाना, जैविक खाद तैयार करने के संबन्ध में कार्यवाही किया जाना तथा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना रहेगा।

13 "मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना" के तहत नियोजित श्रमिकों को अधिकतम ₹ 500/– प्रति श्रमिक तक की लागत के **मास्क, दस्ताने, ड्रैस/जैकिट** भी उपलब्ध करायी जायेगी। इन पर होने वाला राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधी से किया जायेगा। सामग्री का क्रय नियमानुसार वित्तीय नियमों की पालना करते हुए सक्षम स्तर से किया जायेगा।

14 साप्ताहिक अवकाश अलग–अलग क्लस्टर में अलग–अलग दिवस का रखा जायेगा।

प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी. :–

1 स्वभाविक रूप से सडने वाले कचरे, अन्य प्रकार के कचरे को अलग–अलग पात्र में संग्रहित करने के संबन्ध में प्रचार–प्रसार, आई.ई.सी. गतिविधियां एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही, जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत नियोजित कार्मिकों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। आई.ई.सी. पर होने वाला व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निधि से वहन किया जायेगा।

2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत नियोजित कार्मिकों द्वारा राजीविका के सहयोग से स्वच्छता सखियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्मिकों तथा स्वच्छता सखियों के द्वारा "मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना" के तहत सफाई/कचरा संग्रहण हेतु नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3 "मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना" के तहत क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री यथा साईकिल रिक्शा, जैकिट आदि पर योजना का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जायेगा।

वित्त पोषण :– "**मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना**" का वित्त पोषण निम्नानुसार किया जायेगा

महात्मा गांधी नरेगा योजना से :–

1 महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की **मजदूरी भुगतान – नियमानुसार महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर** के अनुरूप **मस्टररोल पर नियोजन के आधार** पर तथा सम्पादित टास्क/बी.एस.आर. दर के अनुरूप किया जायेगा।

2 **स्वच्छता सखी** जो कि महात्मा गांधी नरेगा मेट की तरह कार्य करेगी, का **मजदूरी भुगतान, अर्द्धकुशल श्रमिक** के रूप में मेट की निर्धारित दर से किया जायेगा।

3 कचरे के निस्तारण हेतु बनने वाले गडढे एवं अन्य निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय।

4 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान नियमानुसार ईएफएमएस से ही किया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन के तहत उपलब्ध राशि) –

1 परिवार की संख्या के आधार पर प्रत्येक 150 परिवार पर एक साईकिल रिक्शा मय ट्रॉली (अनुमानित लागत ₹ 25 से 30 हजार)।

2 10–15 परिवार समूह के लिए एक सार्वजनिक कचरा पात्र (लोहे का) जो कि दो पार्ट में विभाजित हो तथा बाहर की तरफ से हरे एवं लाल रंग से रंगा हुआ हो, ताकि स्वभाविक रूप से सडने वाले कचरे को एवं शेष कचरे को अलग–अलग डाला जा सके।

3 इसके तहत होने वाला व्यय स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान एवं नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि (राज्य मद)

1 श्रमिकों के लिए ड्रैस/जैकिट, मास्क, दस्ताने आदि (अधिकतम ₹ 500/– प्रति श्रमिक की दर से)

2 उक्त के लिए राशि सम्बन्धित जिला कलैक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा की मांग के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी एवं भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा।

एम.आई.एस. :–

चूंकि "**मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना**" "**महात्मा गांधी नरेगा योजना**" के कन्वर्जेन्स से तैयार की गयी है। अतः कार्य का नियमानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट पर कन्वर्जेन्स के तहत एन्ट्री किया जाना अनिवार्य है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1 जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा "**मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना**" के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें।

2 जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा यह सुनिश्चित करेगें कि योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार का क्रय, संबन्धित योजना के दिशा निर्देशों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी क्रय संबन्धी निर्देशों के अनुसार विकेन्द्रीकृत प्रणाली से किया जायेगा।